न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/112/18	09–10–2019	13–08–2019

1. प्रभू दयाल मेवाल पुत्र मोती राम मीना
2. राजबाई मीना पत्नि प्रभू दयाल मेवाल जाति मीना निवासीयान मकान नम्बर 26 नानगराम कॉलोनी वंडर हाईट के पास पुराना रूपबास अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. मीरा पत्नी राजेश निवासी नागगराम कॉलोनी वंडर हाईट के पास पुराना रूपबास अलवर।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर दिनांक 31–07–2018

उपस्थितः–

01. श्री पिटूं जैन –वकील अपीलान्ट
02. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील रेस्पौडेन्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर के आदेश दिनांक 31–07–2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मात–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश किया कि अपीलान्ट मकान नम्बर 26 नानगराम कॉलोनी पुराना रूपबास अलवर का निवासी है और मकान अपीलान्ट ने बनाया जिसमें अपीलान्ट व उसकी पत्नी रहते है। मेरे पुत्र राजेश की पत्नी मीरा ने मुझे व मेरी पत्नी को प्रताडित कर रखा है। राजेश व मीरा भिवाडी में रहते थे। वहां उनका झगडा होता था तो रैस्पा0 अपने धरवालों से पिटवती थी और झूठे केस में फसाने की धमकी देती थी। रैस्पा0 ने कई बार पिता, ताऊ एवं उनके पत्नीयां के साथ लेकर मेरे व मेरी पत्नी की मारपीट करवाई है। अपीलान्ट उनके भय से खेती बाडी के लिए अपने पैत्रृक गांव चला गया था। दिनांक 25.1.17 को रैस्पा0 व अज्ञात लोगों ने मेरे मकान का ताला तोडा कर कब्जा कर लिया। जब यह धटना अपने बेटे राजेश को बताई तो उसने मदद करने में असमर्थता जताई और बताया कि मीरा मेरी बिल्कुल नहीं सुनती है। अपीलान्ट 67 वर्षीय वरिष्ठ रिटायर व्यक्ति है अपीलान्ट व उसकी पत्नी बीमार ग्रस्त है। अलवर में मकान बनाया ताकी रिटायर के बाद यहां रह सकू और अपना जीवनयापन सही प्रकार कर सकू। रैस्पा0 ने अपीलान्ट व मेरी पत्नी को बेधर कर दिया और वह हमें जान से मारने की धमकी देती रहती है। इस वृद्वावस्था में हमारा जीवन खतरें में है। तहत अदालत में वरिष्ठ नागरिक संरक्षण और भरण पोषण के अनुभाग 22 एवं 23 के तहत अपीलान्ट व उसकी पत्नी को वृद्व जीवन में सुरक्षा प्रदान करें हेतु आवेदन किया गया। जिस

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

पर कोई गौर नही किया अपीलीय निर्णय खिलाफ कानून खिलाफ खारिज फरमा दिया गया। रैस्पा0 से अपीलान्ट को अपनी जानमाल का खतरा है। रैस्पा0 को धारा 107,116(3) व 151 जा0फो0 के तहत पाबन्द फरमाया गया है तथा 107 की कार्यवाही दो तीन बार की जा चुकी है। न्यायालय के आदेश के बावजूद भी हाजिर नही होती है। रैस्पा0 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व एक झूठा दहेज का मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें अनुसंधान मुकामी पुलिस द्वारा एफ आर प्रस्तुत की है, व धरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत आवेदन पत्र माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लं0 3 अलवर को पेश किया गया न्यायालय द्वारा दिनांक 10.9.18 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है जो भी अपीलान्ट के विरूद्व नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि रैस्पा0 अपीलान्ट को नाजायज तंग वो परेशान करती रहती है। अपीलान्ट का मकान स्वअर्जित जायदाद है, अधिनियम में यह स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति पर उनके पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू आदि जबरन कब्जा नही कर सकते है और यदि कब्जा कर लिया गया है तो अधिनियम के तहत बेदखल कराने का अधिकारी है किन्तु तहत अदालत द्वारा कोई गोर नहीं किया। अपीलीय निर्णय में कानूनी प्रावधानो का अंकन किया है वो अपीलान्ट ने तहत अदालत से रैस्पा0 के विरूद्व भरण पोषण का कोई अनुतोष नही चाहा था। अपीलान्ट ने यह अनुतोष चाहा कि अपीलान्ट को परेशान ना करे तथा अपीलान्ट व उसकी पत्नी को सुरक्षा प्रदान करे एवं उसके मकान पर रैस्पा0 ने अन्य लोगो से मिलकर जो कब्जा कर रखा है उसे खाली कराने के आदेश प्रदान करें–इस संदर्भ में तहत अदालत ने ना तो कोई विवेचन किया ना ही अपने अपीलीय निर्णय में उल्लेखित किया है। प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तों को दृष्टिगत रखते हुये जांच के बिना निर्णय पारित करना न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। तहत अदालत में अपीलार्थी ने उसकी पत्नि की वसीयत की छाया प्रति भी प्रस्तुत की थी, जिसके तथ्यों पर भी तहत अदालत द्वारा गौर नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें। अपने कथन की पुष्टी में 2017 एच.सी. डीएनजे (राज.) पेंज 566, देहली होई कोर्ट के निर्णय दिनांक 3.9.2008 की प्रति पेश की गई।

विद्वान वकील रैस्पा0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रैस्पा0 एक कमरे में निवास कर रही है शेष मकान अपीलान्ट ने जिसमें एक कमरा सुदामा व उसकी पत्नी कविता को किराये पर दे रखा है व तीन कमरों में पढने वाल छात्रों को किराये पर दिये हुऐ है। रैस्पा0 के अपीलान्ट सं0 1 व 2 ससुर , सास मूल रूप से मल्लाना तहसील राजगढ के निवासी है और पक्के रिहायशी मकान में रहते है। अपीलान्ट एफसीआई में एजीएम के पद से रिटायर्ड हुए है जिन्हें सेवानिवृति के समय लाभ परिलाभ 85,00,000 रूपया प्राप्त हुए एवं मासिक पेंशन 40,000 रूपया प्रति प्राप्त हो रही है। साथ ही मल्लाना में 5 बीधा एवं ग्राम पूनखर में 15 बीधा खातेदारी की कृषि भूमि है एवं पक्का मकान है, अपीलान्ट जन साधन सम्पन्न शख्स है तथा आयकर दाता है, गली नम्बर 20 साध नगर पालम दिल्ली में पक्का मकान है जिसकी कीमत करोडो में है, द्वारका दिल्ली में रिहायशी फ्लैट है जिसकी कीमत करोडो में है। रैस्पा0 का पति राजेश पावर ग्रिड कारपारेशन में जेईएन है जिसे भिवाडी में पावन ग्रिड की ओर से रिहायशी मकान प्राप्त है जिस मकान में रैस्पा0 को निवास करने नही दिया जाता है, छोटा लडका ललित कुमार रेल्वे

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

में साफ्टवेयर इंजीनियर है। अपीलान्ट के दोनो लडके सरकारी सर्विस में है। रैस्पा0 द्वारा अपने दहेज लोभी ससुरालजन के विरूद्व 498ए जा0फो0 के तहत मुकदमा किया हुआ है एवं घरेलू हिंसा का प्रकरण न्यायालय एसीजेएम अलवर में पेश किया हुआ है।

तहत अदालत के आदेश में कोई कमी नही है, आदेश नियमानुसार पारित किया है अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया है अपीलान्ट 67 वर्षीय वरिष्ठ रिटायर व्यक्ति है अपीलान्ट व उसकी पत्नी बीमार ग्रस्त है। अलवर में मकान बनाया ताकी रिटायर के बाद यहां रह सकू और अपना जीवनयापन सही प्रकार कर सकू। रैस्पा0 ने अपीलान् ट व मेरी पत्नी को बेधर कर दिया और वह हमें जान से मारने की धमकी देती रहती है। इस वृद्वावस्था में हमारा जीवन खतरें में है। तहत अदालत में वरिष्ठ नागरिक संरक्षण और भरण पोषण के अनुभाग 22 एवं 23 के तहत अपीलान्ट व उसकी पत्नी को वृद्व जीवन में सुरक्षा प्रदान करें हेतु आवेदन किया गया। जिस पर कोई गौर नही किया अपीलीय निर्णय खिलाफ कानून खिलाफ खारिज फरमा दिया गया। रैस्पा0 से अपीलान्ट को अपनी जानमाल का खतरा है। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। तहत अदालत ने अपने निर्णय में निष्कर्ष निकाला है कि अपीलान्ट व रैस्पा0 के मध्य विवाद भरण पोषण के संबंध में प्रतीत न होकर सम्पत्ति (मकान) का प्रतीत होता है। अपीलान्ट को भरण पोषण की कोई समस्या नहीं है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि तहत अदालत द्वारा निकाला गया निष्कर्ष गलत व निराधार हों। बल्कि अपील में अंकित तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि भरण पोषण की समस्या न होकर जायदाद से संबंधित समस्या है। अपीलान्ट ने दौ पुत्रों को भी पक्षकार नहीं बनाया है जिसका भी कोई वैधानिक कारण का उल्लेख नहीं किया। अपीलान्ट का प्रथम आरोप है कि रैस्पा0 अपीलान्ट व उसके पत्नी को बेजा परेशान कर रखा है, अपीलान्ट का यह आरोप तथ्यहीन है जबकि अपीलान्ट व रैस्पा0 एक साथ एक ही मकान में निवास कर रहें है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलान्ट ने अपील रैस्पा0 को परेशान करने की दृष्टि से पेश की हो। अगर रैस्पा0 से मकान से पृथक करने का है, तो उसको चाहिए कि व सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें। हम तहत अदालत के निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का आदेश दिनांक 31–07–2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13–08–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)